	(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years regular service in posts in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of : 1.Joint Secretary (Hospital), Ministry of Health and Family Welfare -Chairman; 2. Deputy Director General incharge of Medical Hospital Division, Directorate General of Health Services, New Delhi. -Member; 3.Director, Lady Hardinge Medical College , New Delhi -Member; 4. Head of Radiology department , Lady Hardinge Medical College , New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/01/2014- MH-II)

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य सफाई अधीक्षक, (समूह 'ग') भर्ती नियम 1996 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मुख्य सफाई अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य सफाई अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य सफाई अधीक्षक	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
आयु : लागू नहीं होता **शैक्षिक अर्हताएं**: लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है	**प्रोन्नति:** सफ़दरजंग अस्पताल के ऐसे सफाई अधीक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5(29200-92300 रुपये) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा नेतृत्व, सफाई और स्वच्छता तथा मानवशक्ति पर्यवेक्षण पर अस्पताल द्वारा आयोजित तीन सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उसके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी : (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख)निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव

			रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विद्या में स्नातक की डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा ; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण । (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा ; (v) किसी मान्यताप्राप्त संगठन में सफाई कार्य की देखभाल का दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/आमेलन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) अपर स्वास्थ्य अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; (2) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य; (3) निदेशक या उपनिदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य;	संघ लोक सेवा से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(4)उपनिदेशक, प्रशासन, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-** (1) अपर स्वास्थ्य अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; (2) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य; (3) निदेशक या उपनिदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (4) उपनिदेशक, प्रशासन, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य।	

[फा. सं. ए-11018/03/2018-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R. 35 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjang Hospital, New Delhi ,Chief Sanitary Superintendent (Group 'C') Recruitment Rules 1996 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Sanitary Superintendent in the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, Chief Sanitary Superintendent (Group 'B' Post) , Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chief Sanitary Superintendent	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	**Age** : Not applicable. **Educational Qualifications** : Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	**Promotion:** From Sanitary Superintendent in Safdarjung Hospital with six years of regular service in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200 -92300) and having successfully completed three weeks of mandatory training on Leadership , Cleaning and Sanitation and manpower supervision to be conducted by the hospital. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years , whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or Universities or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ;or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level – 5 in the pay matrix(Rs 29200- 92300) in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor degree in any discipline from a recognised University or institute; (ii) Diploma in Sanitary Inspector course or Diploma in Health Inspector course or Diploma in Sanitary Health Inspector course from a recognised University or Institute or Board ; or (iii) 12th class pass from a recognised Board. (iv) Diploma in Sanitary inspectors course or Diploma in Health Inspectors course or Diploma in Sanitary Health Inspector from a recognised University or institute or Board; (v) Two years experience in dealing with sanitation works in any recognised organisation. **Note 1** : The departmental officers in the feeder category who

		are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation(Including Short Term Contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3** : The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1)Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairman; (2)Head of the concerned Department, Safdarjung Hospital -Member; (3)Director or Deputy Director Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member; (4) Deputy Director Administration , Safdarjung Hospital -Member. **Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of :-** (1)Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairman; (2)Head of the concerned Department, Safdarjung Hospital -Member; (3)Director or Deputy Director Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member; (4) Deputy Director Administration , Safdarjung Hospital -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/03/2018-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 36.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम, (वर्ग ।।। पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर और ड्राइवर (भारी वाहन) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर और ड्राइवर (भारी वाहन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I) भर्ती नियम, 2021 है ।